[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या **27**/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **17** मई, 2018

सा.का.नि. (अ).- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सिरामिक रोलर्स" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची उप शीर्ष 6903 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/47/2016-डीजीएडी, दिनांक 26 मार्च, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलु उद्योग का निष्पादन संबध्द देश से पाटित आयातों के कारण कम हुआ है और पाया है कि

(क) इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं । इसके परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में भारी वृद्धि हो गई है ।

(ख) कीमतों में हो रही कमी का कारण फालतू आयात का होना है जिसने घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि रुक गई है । यदि ऐसा आयात न होता तो इन कीमतों में वृद्धि हो जाती ।

(ग) विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात के कारण जो कीमतों पर दबाव पड़ा है उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में भारी कमी आई है ।

(घ) घरेलू उद्योगों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि, इसकी उपयोग क्षमता और बाजार में हिस्सेदारी अवरुद्ध हो गई है, बावजूद इसके कि देश में मांग और क्षमता की स्थिति काफी अच्छी है ।

(ङ) लाभ, लगाई गई पूंजी के प्रतिफल और नकद लाभ में जो गिरावट आई है वह ऐसे फालतू आयात का सीधा परिणाम है ।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत

वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि के बराबर, मुद्रा में तथा माप इकाई के अनुसार निश्चयात्मक प्रति�पाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एफसीआरआई (ननहाई) न्यू मिनरल्स कंपनी लि. एफसीआरआई (सीहुई) न्यू मिनरल्स कं. लि. एफसीआरआई (पिंजिआंग) साईंस एंड टेक्नालॉजी इंडस्ट्रीयल पार्क कं. लि.	एफसीआरआई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.	शून्य
2	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जीबो हुयांन इंडस्ट्रीयल सिरामिक्स कं. लि.	जीबो हुयांन इंटरनेशनल ट्रैडिंग कं.लि.	223.74
3	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	बाक्सिंग काउंटी जिनरूईजी न्यू मैटीरियल कं.लि.	जीबो कोना ट्रैडिंग कं.लि.	336.34
4	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिंगजैंग सॉयन फाईन मैटीरियल कं.लि.	हाईहो जोंग डिंग कॉर्पोरेशन गोवांग डोंग किंग स्ट्रॉग न्यू मैटीरियल टेक्नॉलाजी कं.लि. होंशन स्काई प्लानेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि. चीन जनवादी गणराज्य	202.03

5	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित से भिन्न अन्य		782.25
6	6903	सिरामिक रोलर्स	कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	782.25
7	6903	सिरामिक रोलर्स	चीन जनवादी गणराज्य	कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	782.25

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/118/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार